न्यायालय, अवर न्यायाधीश बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.S-196/2009

04.08.2022 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई है। वादी की ओर से आदेश–22 नियम–4 के अन्तर्गत दिनांक–24.06.2022 का एक आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी सं0–7 शंकर पासवान की मृत्यु दिनांक–09.08.2020 को हो गई। प्रतिवादी सं0–7 शंकर पासवान के दो पुत्र रोहित कुमार एवं रोहन कुमार एवं एक पुत्री राधिका कुमारी है। इस वाद में प्रतिवादी सं0–7 के उक्त सन्तान इस वाद में पक्षकार नही है। प्रतिवादी सं0–7 शंकर पासवान के विधिक उत्तराधिकारी को इस वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत कर विधिक उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रतिवदी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा वादी के उक्त आवेदन पर No Objection लिखा गया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की ओर से आदेश–22 नियम–4 के अन्तर्गत दिनांक–24.06.2022 के आवेदन पर प्रतिवादी के द्वारा No Objection लिखा गया है। प्रतिवादी को उक्त विधिक उत्तराधिकारी को इस वाद में प्रतिस्थापित करने में कोई आपत्ति नही है।

अतः वादी के दिनांक–24.06.2022 को न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार वाद–पत्र में प्रतिस्थापन की कार्यवाही करे।

वाद दिनांक–29.08.2022 वास्ते **W.S** एवं उपस्थिति।

लेखापित

s/d

अवर न्यायाधीश